न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/50/2015

उनवान

1. श्री नंदा आत्मज लक्ष्मण ब्राह्मण निवासी धुंवाला(मा.) तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
2. श्री काशी आत्मज लक्ष्मण ब्राह्मण निवासी धुंवाला(मा.) तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
3. श्री जगदीश आत्मज लक्ष्मण ब्राह्मण निवासी धुंवाला(मा.) तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमती गीता पुत्री कालू ब्राह्मण पत्नि शंकर ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों की सरेरी तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा —— प्रत्यर्थी(प्रार्थी)
2. श्री भंवरलाल आत्मज रामचन्द्र ब्राह्मण निवासी लांगरों का खेड़ा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
3. श्रीमती केली बेवा रामचन्द्र ब्राह्मण निवासी लांगरों का खेड़ा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा(डिलीट दिनांक 29.05.2019)
4. श्री छगनलाल पिता किशन ब्राह्मण निवासी लांगरों का खेड़ा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
5. श्री रामेश्वर पिता किशन ब्राह्मण निवासी लांगरों का खेड़ा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 आवेदन दिनांक 29.05.19 को स्वीकार होने से नाम संशोधित किया गया)
6. श्री दिनेश चन्द्र पिता रमेशचन्द्र पारीक निवासी बराना तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 80/2013 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.04.2015
प्रकरण संख्या 30 सन् 15 अपील

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधिवक्तागण :–

1. श्री एस0एल0वैद, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री आर.सी.सारस्वत अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं0 1
3. श्री विनोद पारीक अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं0 6
4. श्री दिनेश सिसोदिया अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं0 2से5

निर्णय

दिनांक 05.09.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी /वादीगण के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है–

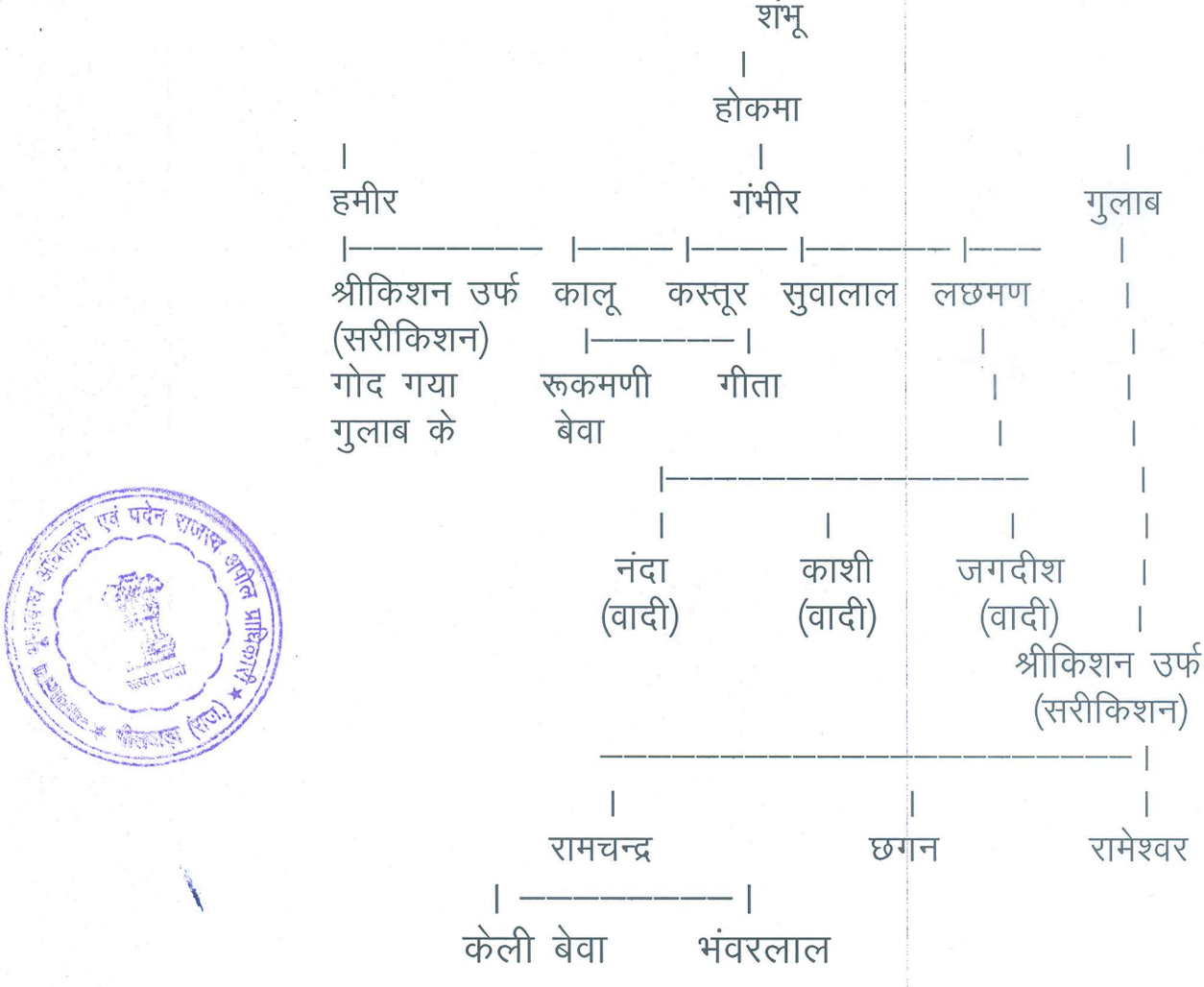

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2. यह कि स्व0 होकमा एवं स्व0 हमीर के जीवनकाल में ही स्व0 हमीर का पुत्र श्रीकिशन स्व0 गुलाब के गोद चला गया था। जिसका मेवाड़ गवर्नमेंट उदयपुर के ग्राम धुंवाला(मां) की सम्वत्1985 की जमाबन्दी के खाता संख्या 134, 187 में दर्ज है। इसी तरह स्व0 हमीर के पुत्र कस्तूर भी करेड़ा के रामरतन जी के गोद चले गये और सुवालाल जी भी करेड़ा के कन्हैयालाल के गोद चले गये। स्व0 होकमाजी के दूसरे पुत्र गंभी भी ग्राम धुंवाला(मां) के स्व0 पीथाजी के गोद चले गये। जो व्यक्ति गोद चले उन्हें अपने नैसर्गिक पिता की संपदाओं में पुत्र के रूप में विरासतीय अधिकार समाप्त होकर गोद पिता की संपदाओं में विरासतीय अधिकार नैसर्गिक पुत्र के समान निहित हो गये। इसी तरह श्रीकिशन उर्फ सरीकिशन नाम के दो व्यक्ति स्व0 शंभू के वंश क्रम में नहीं थे बल्कि श्रीकिशन वही व्यक्ति है जो स्व0 गुलाब के पुत्र के रूप में राजस्व रेकार्ड में अभिलिखित है जो हमीर का ही पुत्र है।

3. यह कि स्व0 हमीर वल्द हुक्मा ब्राह्मण की खातेदारी हक की आराजी नं0 783 रकबा 28 बीघा 09 बिस्वा कृषि भूमि मौजा धुंवाला(मां) में स्थित है, जो मेवाड़ रियासत के ग्राम धुंवाला(मां) की सम्वत् 1985 की जमाबन्दी के खाता संख्या 132 में दर्ज रेकार्ड है। जो कि कालान्तर में हमीर जी की मृत्यु के बाद राजस्व अभिलेख में विरासत से राजस्व एजेन्सी ने उनके पुत्र श्रीकिशन उर्फ सरीकिशन, लछमण एवं कालू की बेवा रूकमण के नाम पर बिना जांच पड़ताल किये इंतकाल स्वीकृत कर दिया। जो त्रुटीपूर्ण है। क्योंकि स्व0 हमीर जी एवं हुक्मा जी के जीवनकाल में ही हमीर जी के पुत्र श्रीकिशन उर्फ सरीकिशन जी स्व0 गुलाब जी के गोद चले जाने से उसका नाम विरासत से स्वीकृत किया जाना त्रुटीपूर्ण है। स्व0 हमीर वल्द हुक्मा जी ब्राह्मण

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

के विरासत से दो पुत्र लछमण एवं कालू ही उत्तराधिकारी है। इसलिये राजस्व एजेंसी को सम्पूर्ण जांच पड़ताल कर स्व0 हमीरजी की विरासत से खाता रददोबदल करना चाहिये था। ऐसा नहीं करने से राजस्व रेकार्ड में श्रीकिशन उर्फ सरीकिशन का स्व0 हमीर जी की विरासत से अंकन सर्वथा त्रुटीपूर्ण है। स्व0 लछमणजी की मृत्यु हुये करीब 27–28 वर्ष हो गये हैं जिनके वारिसान वादीगण है।

4. यह कि सेटलमेंट ऑपरेशन के दौरान ग्राम धूंवाला(मां) की साबिक आ0नं0 783 रकबा 28 बीघा 09 बिस्वा के नवीन परिवर्तित नम्बर 1791 रकबा 01–02 बीघा, आ0नं0 1792 रकबा 10–18 बीघा, आ0नं0 1793 रकबा 10–14 बीघा, आ0नं0 1794 रकबा 1–18 बीघा कुल रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा कायम करते हुये साबिक राजस्व रेकार्ड में हुये दोषपूर्ण अंकन को दोहरात हुये श्रीकिशन, लछमण पिता हमीर, मु0 रूकमणी बेवा कालू ब्राह्मण का नाम खातेदारी हक से दर्ज कर देने से कालान्तर में भी चौसाला रोटेशन की जमाबन्दियों में वादीगण एवं श्रीमती रूकमणी बेवा कालू के साथ–साथ प्रतिवादीगण भंवरलाल, श्रीमती केली, छगनलाल व रामेश्वर का नाम जो कि स्व0 श्रीकिशन उर्फ सरीकिशन के वारिसान होने से इनका नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित चला आ रहा है, प्रतिवादी सं0 1 से 4 स्व0 श्रीकिशन वल्द गुलाब ब्राह्मण के वारिसान है। इनका वादग्रस्त आराजीयात में कोई हक हिस्सा व हित निहित नहीं है और न काबिज है। इस प्रकार साबिक आ0नं0 783 जिसके परिवर्तित नवीन आ0नं0 1791, 1792, 1793, 1794 कुल रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा पर वादीगण एवं प्रतिवादीया श्रीमती गीता का आधा–आधा हिस्सा है। वादीगण अपने 1/2 हिस्से की भूमि पर काबिज है तथा प्रतिवादीया श्रीमती गीता भी 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी सं0 1 से 4 के सिजारे के मार्फत मौके पर काबिज है तद्नुसार वादीगण आ0नं0

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

1791, 1792, 1793, 1794 से प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का नाम हटाया जाना न्यायोचित है क्योंकि वे स्व0 श्रीकिशन उर्फ सरीकिशन वल्द गुलाब ब्राह्मण के ही वारिसान है। इसलिए नवीन आ0नं0 1791, 1792, 1793, 1794 में प्रतिवादी भंवरलाल, श्रीमती केली बेवा रामचन्द्र, छगनलाल व रामेश्वर का नाम हटाया जाना न्यायोचित है तथा शेष खातेदार वादीगण का 1/2 एवं प्रतिवादीया श्रीमती गीता का 1/2 हिससे की घोषणा कराते हुए मौके पर विभाजन मुताबिक राजस्व रेकार्ड में वादीगण का अलग खाता कायम कराया जाना न्यायोचित है। वादग्रस्त आराजीयात 1791, 1792, 1793, 1794 रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा में स्व0 श्रीकिशन उर्फ सरीकिशन वल्द गुलाब ब्राह्मण के वारिसान प्रतिवादी भंवरलाल, श्रीमती केली बेवा रामचन्द्र, छगनलाल व रामेश्वर वादीगण के कब्जे काश्त में दिनांक 05.06.2012 से मदाखलत करने पर आमादा होते आये हैं तथा पिछले माह में राजस्व रेकार्ड में उनका नाम अंकित होने से अन्य को विक्रय करने की धमकियां देना प्रारंभ कर दिया है,जिनके उक्त गैर कानूनी कृत्य एवं कुत्सित प्रयास को वादीगण निष्फल करने का प्रयत्न कर रहे हैं किन्तु वादीगण वादग्रस्त आराजीयात में अपने आधा हिस्सा की घोषणा करा उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा के आदेश से वादग्रस्त आराजीयात को खुर्द–बुर्द न करने अंतरण न करने व वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण के आधा हिस्से की आराजीयात में मदाखलत न करने हेतु प्रतिबंधित करा अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने बाबत यह वाद पेश करना नितांत ही न्यायोचित है।

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध पूर्व में एक वाद संस्थित कराया था जिसे प्रकरण संख्या 45/09 रेवेन्यू वाद वादीगण एवं उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में उक्त वाद खारिज हो गया था। उक्त वाद में प्रतिवादीगणों की सम्यक तामिलें भी नहीं हुई और कोई प्रभावी कार्यवाही

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अथवा विवाद्य का सुसंगत विनिश्चयन नहीं हो पाया। इसलिये न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर यह वाद वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। स्व0 लछमण एवं स्व0 रामचन्द्र की पुत्रियों का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित न होने से पक्षकार नहीं बनाया है और न उनके विरूद्ध कोई अनुतोष ही चाहा गया है।

5. अतः वादीगण की प्रार्थना है कि मौजा धुंवाला(मां) तहसील माण्डल की नवीन आ0नं0 1791,1792,1793,1794 कुल रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा में प्रतिवादी भंवरलाल, श्रीमती केली बेवा रामचन्द्र, छगनलाल, व रामेश्वर का अंकित नाम हटाया जाकर वादीगण का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादीया गीता का 1/2 हिस्सा होने की घोषणा करा राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की डिक्री एवं मौके पर कब्जे मुताबिक वादीगण 1/2 हिस्से का खाता अलग कायम करने की डिक्री पारित की जावे।

वादग्रस्त आराजीयात को प्रतिवादीगण को खुर्द–बुर्द न करने, अन्य किसी को अंतरण न करने एवं वादीगण के 1/2 हिस्से के कब्जे काश्त में मदाखलत न करने से स्थाई व्यादेश से प्रतिबंधित करने की डिक्री वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध पारित की जावे। वाद के विचारण के दौरान प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात का सम्पूर्ण रकबा में हिस्सा या उसका कोई भाग अन्य किसी व्यक्ति को विक्रय या अंतरित करने सम्बन्धी विलेख पाया जावे या माननीय न्यायालय के ध्यान में आ जाने पर ऐसे विलेख को शून्य, अवैध व निष्प्रभावी होने की घोषणात्मक डिक्री वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रदान की जावे।

6. वादीगण के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए व 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिनांक 29.04.2013 को

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रस्तुत किया । अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण दिनांक 29. 04.2013 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण को सूचना पत्र जारी कर आगामी सुनवाई की तारीख 25.06.2013 नियत की गई। दिनांक 25.06.2013 को प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्तागण के द्वारा अपने–अपने अधिकारपत्र प्रस्तुत किए गए। प्रकरण में प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 के तहत दिनांक 20.05.2014 को प्रस्तुत किया। वादीगण के अधिवक्ता के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 4 सपठित आदेश 9 नियम 9(1) व धारा 151 सिविल प्रक्रया संहिता के तहत प्रस्तुत किया। वादीगण के अधिवक्ता की ओर से आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थनापत्र का जवाब दिनांक 26.06.2014 को प्रस्तुत किया एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता के द्वारा दस्तावेज सूची प्रस्तुत की। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की ओर से दिनांक 07.04.2015 को 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में शीघ्र सुनवाई हेतु निवेदन किए जाने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व आदेश 9 नियम 9(1) व धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता पर उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

7. अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व आदेश 9 नियम 9(1) व धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता पर बहस के पश्चात दिनांक 17.04.2015 को प्रतिवादीगण के प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता को स्वीकार करते हुए वादीगण के वाद को खारिज किया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण / वादीगण के द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

8. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि पूर्व का वाद संख्या 45/09 दिनांक 30.04.2010 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया। पुनः न्यायालय की आज्ञा से यह नवीन वाद प्रस्तुत किया है। जो अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 29.04.2013 में अंकित है। पूर्व वाद में वाद को पुनः नम्बर पर लेने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया परन्तु प्रकरण में विपक्षीगण अधिक होने से यह नया वाद अधिनस्थ न्यायालय की आज्ञा लेकर प्रस्तुत किया है। सम्पूर्ण वाद को रेस्पोडेन्ट गीता ही कन्टेस्ट कर रही है तथा आदेश 7 नियम 11 भी गीता के द्वारा ही लगाया है। किसी भी वाद को आदेश 7 नियम 11 में खारिज किए जाने के सीमित कारण है। प्रकरण का निस्तारण मेरिट पर किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत नहीं होने अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश खारिज किया जावे व रिमाण्ड किया जावे। उक्त कथन की ताईद में निम्न विधिक उद्धरण प्रस्तुत किए हैं–

1–2010आरबीजे पेज 138 मदन मोहन ब्राह्मण बनाम रमेशचन्द्र ब्राह्मण
2–2010आरबीजे पेज 207 बूटीराम जाट वगै0 बनाम मु0ज्यानादेवी वगै0
3–2016–17(supp.)आरआरटी पेज489 भंवरसिंह बनाम भगवानसिंह वगै0

बहस में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने निवेदन किया कि वाद संख्या 45/09 दिनांक 30.04.2010 को अदम हाजरी में खारिज किया। दिनांक 02.06.2010 को प्रकरण को पुनः नम्बर पर लेने हेतु आदेश 9 नियम 9 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके लम्बित होते हुए यह नया वाद प्रस्तुत किया जिस कारण से आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई करते हुए वादीगण/अपीलार्थीगण का वाद विस्तृत आदेश से सही खारिज किया है। अतः अपील

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलार्थीगण खारिज फरमाई जावे। रेस्पोडेन्ट ने अपने कथन की ताईद में निम्न विधिक उद्धरण प्रस्तुत किया है–

1–एआइआर 2003 पेज 319 हरिराम बनाम लिछमणिया वगै0

10. हमने उभयपक्ष पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं विधिक उद्धरणों का अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पूर्व वाद संख्या 45/09 की प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न है। जिसमें 18 प्रतिवादीगण अंकित है । दिनांक 25.01.2010 की आदेशिका में समस्त प्रतिवादीगण की तलबी हेतु वकील वादीगण सम्मन प्रोसेस पुनः प्रस्तुत करे। पत्रावली वास्ते प्रतिवादीगण की तलबी हेतु आगामी दिनांक 30.04.2010 नियत किए जाने की आदेशिका संधारित है। दिनांक 30.04.2010 को प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री शरद पालीवाल के द्वारा अपना अधिकारपत्र प्रस्तुत किया। वादीगण एवं वादीगण के अधिवक्ता के दिनांक 30.04.2010 को उपस्थित नहीं होने पर वादपत्र को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया। तथा उक्त प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिए जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9(1) व 151 जा0दी0 का प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 02.06.2010 को दर्ज रजिस्टर किया गया जिसके नम्बर विविध प्रार्थना पत्र 206/2010 है। इस प्रकरण में अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 18 में से दिनांक 22.06.2010 को अप्रार्थी संख्या 1,2,3,9,10,15,15,17,18 के सम्मन बाद तामील एवं अप्रार्थी संख्या 4 से 8,11 से 14 व 16 के सम्मन अदम तामील प्राप्त होना एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री शरद कुमार पालीवाल ने अपना अधिकारपत्र प्रस्तुत करना आदेशिका दिनांक 22.06.2010 में अंकित है। इनमें से अप्रार्थी संख्या 9,10,15,17,18 के विरूद्ध एक तरफा आदेश पारित किया गया। प्रकरण आगामी दिनांक 20.07.2010 को

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के जवाब एवं अप्रार्थी संख्या 4 से 8, 11 से 14 व 16 की तलबी हेतु नियत किया गया। अप्रार्थी संख्या 4,5 व 7,8 के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कार्यवाही का उल्लेख अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं में अंकित नहीं है अर्थात न तो किसी का अधिकारपत्र प्रस्तुत हुआ न इनके विरूद्ध एक तरफा आदेश किए जाने व इनके सम्मन बाद तामील या अदम तामील प्राप्त होने सम्बन्धी किसी प्रकार का आदेश दिनांक 20.07.2010 से 11.04.2014 तक के मध्य अंकित आदेशिकाओं में नहीं है। इस प्रकार प्रकरण वर्ष 2010 से 2014 कुल 4 वर्ष से तलबी में लम्बित चलता रहा फिर भी इनकी तामील नहीं हो सकी। प्रार्थनापत्र 206/2010 में अन्तिम दिनांक 22.07.2014 नियत थी परन्तु अप्रार्थीगण की तलबी पूर्ण नहीं होने पर प्रार्थीगण के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में नियत दिनांक 22.07.2014 से पूर्व प्रकरण में सुनवाई हेतु एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किए जाने पर प्रकरण दिनांक 02.06.2014 को सीगाह से तलब कर प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र आदेश 9 नियम 9 व 151 जा0दी0 में आगे कार्यवाही नहीं चाहे जाने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत प्रमाणित फोटो प्रतियों से सिद्ध होता है।

11. वादीगण के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में नवीन वाद संख्या 80/2013 दिनांक 29.04.2013 को प्रस्तुत किया उसके साथ 151 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय से अपने पूर्व वाद के दिनांक 30.04.2010 को वादीगण व उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में खारिज होने से वादीगण को नया वाद पेश करने की अनुमति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अनुमति दिनांक 29.04.2013 को प्रस्तुत किए जाने का आदेश अंकित है। प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण के द्वारा अपने प्रार्थनापत्र आदेश 9 नियम 9 व 151 जा0दी0 पर कार्यवाही

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नहीं चाहे जाने के अनुरोध पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसे अपने आदेश दिनांक 02.06.2014 को प्रार्थना पत्र खारिज किया। अधिनस्थ न्यायालय के दिनांक 02.06.2014 के आदेश में भी यह अंकित है कि प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण के द्वारा न्यायालय की इजाजत से नया वाद पेश कर दिया है इसलिये प्रार्थीगण इस प्रकरण में अब कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण के द्वारा समस्त तथ्यों को रखकर विधिवत अनुमति प्राप्त की गई है।

जहां तक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के बिन्दु पर निर्धारण का है। इस सम्बन्ध में अपीलार्थीगण के अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत विधिक उद्धरण 2010आरबीजे पेज 138 मदन मोहन ब्राह्मण बनाम रमेशचन्द्र ब्राह्मण एवं 2010आरबीजे पेज 207 बूटीराम जाट वगै0 बनाम मु0ज्यानादेवी वगै0 एवं 2016–17(supp.)आरआरटी पेज489 भंवरसिंह बनाम भगवानसिंह वगै0 उक्त तीनों उद्धरण इस प्रकरण पर पूर्णतया लागू होता है अर्थात इसमे यह माना है कि यदि प्रकरण अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हुआ है तथा निस्तारण मेरिट पर नहीं किया गया हो एवं कोई वादबिन्दु निर्धारित नहीं है तथा पूर्व वाद एवं प्रस्तुत वाद में पक्षकार एवं विषय वस्तु समान है तो ऐसे प्रकरण पर आदेश 7 नियम 11 रेसज्यूडिकेटा लागू नहीं होता है। इस सम्बन्ध में रेस्पोडेन्टगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक उद्धरण एआइआर 2003 पेज 319 हरिराम बनाम लिछमणिया वगै0 इस प्रकरण पर लागू नहीं होता है क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व के प्रकरण में किसी प्रकार का अन्तिम निर्णय अधिनस्थ न्यायालय स्तर पर पारित नहीं हुआ है।

12. उपरोक्त विवेचनानुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद को आदेश 7

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नियम 11 के तहत खारिज किए जाने में विधिक त्रुटी की है क्योंकि पूर्व का प्रकरण संख्या 45/09 दिनांक 30.04.2010 को वादीगण/अपीलार्थीगण की अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया। जिसमें प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्टगण की पूर्ण तामील नहीं हुई यहां तक कि कोई जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ व कोई विवाद्यक विरचित नहीं हुए । पूर्व वाद में 18 प्रतिवादी बनाए गए थे जबकि अपीलाधीन प्रकरण में मात्र 5 प्रतिवादी बनाए जा कर नवीन वाद लाया गया है। वादपत्र के बिन्दु संख्या 5 में पूर्व वाद संख्या 45/2009 का उल्लेख किया जा कर वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है, तथा दिनांक 29.04.2013 को नवीन वाद संस्थानित किये जाने के क्रम में विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण को नया वाद पेश करने की अनुमति प्रदान की है। ऐसे में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित आदेश 9 नियम 9(1) व धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया जा कर वादी का वाद खारिज किया जाना उचित नहीं माना जा सकता। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में पूर्व वाद के अदम हाजरी में खारिज होने की दिनांक को दोनों पक्ष अनुपस्थित न होकर प्रतिवादीगण के अधिवक्ता उपस्थित रहना पाया है। इस कानूनी त्रुटी के कारण नवीन वाद पोषणीय नहीं होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 को स्वीकार किया जा कर वाद वादी खारिज किया गया है।

इस क्रम में अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय रिवीजन /टीए/1097/06/सवाई माधोपुर, आरबीजे(17)2010 का ससम्मान अवलोकन किया गया। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद जब मेरिट पर निर्णित नहीं होकर अदम हाजरी व अदम पैरवी में निर्णित हुआ हो तब आदेश 7

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नियम 11 के प्रतिबन्ध लागू नहीं होते। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा इस बाबत विस्तृत विवेचन किया है तथा आदेश 7 नियम 11 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर वाद खारिज किए जाने योग्य नहीं पाया। प्रस्तुत नजीर काफी हद तक अपीलाधीन प्रकरण पर लागू होती है। तथा पूर्व वाद मेरिट पर निर्णित नहीं होने से अपीलाण्टगण का नवीन वाद लाने का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता। अपीलाधीन प्रकरण में अपीलाण्ट/वादीगण द्वारा पूर्व में वाद संस्थानित होने तथा अदम हाजरी , अदम पैरवी में खारिज हो जाने का तथ्य अंकित कर ही नया वाद संस्थानित किया गया जिसे विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुतीकरण की दिनांक 29.04.2013 को ही नया वाद पेश करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। अतः न्यायहित में अपीलाण्टगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत नवीन वाद व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज योग्य होना नहीं पाये जाने से अधिनस्थ न्यायालय निर्णय को विधिसम्मत नहीं पाते हैं।

13. अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.04.2015 को खारिज किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण की विषयवस्तु से सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर विवाद्यक विरचित करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.10.19 को उपस्थित रहें।

14. निर्णय आज दिनांक 05.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

5/9/19.

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/50/2015

उनवान

1. श्री नंदा आत्मज लक्ष्मण ब्राह्मण निवासी धुंवाला(मा.) तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
2. श्री काशी आत्मज लक्ष्मण ब्राह्मण निवासी धुंवाला(मा.) तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
3. श्री जगदीश आत्मज लक्ष्मण ब्राह्मण निवासी धुंवाला(मा.) तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमती गीता पुत्री कालू ब्राह्मण पत्नि शंकर ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों की सरेरी तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा ––

प्रत्यर्थी(प्रार्थी)

2. श्री भंवरलाल आत्मज रामचन्द्र ब्राह्मण निवासी लांगरों का खेड़ा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
3. श्रीमती केली बेवा रामचन्द्र ब्राह्मण निवासी लांगरों का खेड़ा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा(डिलीट दिनांक 29.05.2019)
4. श्री छगनलाल पिता किशन ब्राह्मण निवासी लांगरों का खेड़ा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
5. श्री रामेश्वर पिता किशन ब्राह्मण निवासी लांगरों का खेड़ा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 आवेदन दिनांक 29.05.19 को स्वीकार होने से नाम संशोधित किया गया)
6. श्री दिनेश चन्द्र पिता रमेशचन्द्र पारीक निवासी बराना तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 80/2013 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.04.2015
प्रकरण संख्या 30 सन् 15 अपील

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

15 TA /50/2015 नन्दा बनाम गीता

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/50/2015** मे **उपखण्ड अधिकारी, माण्डल** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डि्की जारी की जाती हैः अपीलार्थी अधिवक्ता श्री एस0एल0वैद एवं प्रत्यर्थी सं0 1 के अधिवक्ता श्री आर.सी.सारस्वत व प्रत्यर्थी सं0 2से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश सिसोदिया एवं प्रत्यर्थी संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद पारीक की उपस्थिति मे दिनांक 05.09.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.04.2015 को खारिज करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता हैं।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 05.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डि्की जारी की जाती है।

5/9/19

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू.प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस